उनवान

रेवती पुत्र स्व0 गोधन वगै0 जाति नाई निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

————सायलान 02

बनाम

भरोसीलाल पुत्र स्व0 गिर्राज वगै0 जाति नाई निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

———गैरसायल 02

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा

यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री कन्हैया लाल शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। सायलान की ओर से एडवोकेट ने दौराने बहस न्यायालय को अवगत कराया कि गैरसायलान सायलान के हिस्से में खसरा नंबर 581, 582, 583, 591, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 613 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में रहनवय करने पर आमादा है। इसलिये गैरसायलान को पाबंद फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

हमने सायलान की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान का केस प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही सिद्धान्त सायलान के पक्ष में साबित है। अतः गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 581, 582, 583, 591, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 613 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक सहखातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से तक कब्जेकाश्त में मजाहमत नहीं करें। रजिस्टर्ड तलवाना आगामीं तारीख पेशी तक पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 21-10-2020 को पेश हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

21/10/2020 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उप. [illegible] सायल व सायल वकील ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं [illegible] कराना चाहते हैं। अतः उक्त [illegible] भरोसीलाल वगै0 [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] जमा हो।

21.10.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Next [illegible]
रेवतीलाल
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner